

बिहार, ७ फरवरी १९७२

कर्मिक विभाग।

अधिसूचनाएं

२ नवम्बर १९७२

नं० १९७२-जि० पु०-का०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिहार-राज्यपाल निदेश देते हैं कि बेतिया अनुमंडल जो अबतक चम्पारण जिला का अंग था, ८ नवम्बर १९७२ से 'बेतिया' नाम से एक नया जिला होगा जिसका मुख्यालय बेतिया में रहेगा।

उक्त जिला का शेष अनुमंडल अर्थात् सदर अनुमंडल उक्त तारीख से 'पूर्व चम्पारण' नाम से एक नया जिला मुख्यालय मोतीहारी में रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

न० दे० ज० राध, प्रशासनिक सुधार आयुक्त-सह-प्रमुख सचिव

४ नवम्बर १९७२

नं० १९७२-जि० पु०-का०—१२-जि० पु०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिहार-राज्यपाल निदेश देते हैं कि बिहारक्षेत्रीय अनुमंडल जो अबतक पटना जिला का अंग था, ४ नवम्बर १९७२ से 'नालन्दा' नाम से एक नया जिला होगा, जिसका मुख्यालय बिहार क्षेत्रीय में रहेगा।

उक्त जिला का शेष अनुमंडल अर्थात् सदर, पटना सिटी, दानापुर और बाढ़ अनुमंडल ही उक्त तारीख से अंग रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

न० दे० ज० राध, प्रशासनिक सुधार आयुक्त-सह-प्रमुख सचिव।

४ नवम्बर १९७२

नं० १९७२-जि० पु०-का०—६१-जी० पु०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिहार-राज्यपाल निदेश देते हैं कि समस्तीपुर अनुमंडल जो अबतक दरभंगा जिला का अंग था, १४ नवम्बर १९७२ से 'समस्तीपुर' नाम से एक नया जिला होगा, जिसका मुख्यालय समस्तीपुर में रहेगा।

उक्त जिला के शेष अनुमंडल अर्थात् सदर और मधुबनी अनुमंडल ही उक्त तारीख से दरभंगा जिला का अंग रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

न० दे० ज० राध, प्रमुख सचिव।

२२ नवम्बर १९७२

नं० १९७२-जि० पु०-का०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बिहार-राज्यपाल निदेश देते हैं कि तारीख १ दिसम्बर १९७२ से राँची जिले में एक नया अनुमंडल 'बेतिया' नाम से एक नया जिला मुख्यालय अमलगांगा अनुमंडल होगा और उसका मुख्यालय अमलगांगा नाम से राँची में रहेगा।